भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 5216
दिनांक **24** मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

असम में छोटे डेयरी और मत्स्यपालक किसानों की आय

5216. मोहम्मद रकीबुल हुसैनः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने असम में छोटे डेयरी और मत्स्यपालक किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई उपाय शुरू किए हैं;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार ऐसे किसानों की औसत वार्षिक आय कितनी है;

(ग) क्या ऐसे किसानों के लिए कोई ऋण लिंकेज या बीमा कवरेज उपलब्ध है; और
(घ) ऐसे किसानों की आय में स्थिरता और जोखिम न्यूनीकरण सुनिश्चित करने के लिए विस्तारित योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (घ) छोटे डेयरी किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य और संघ राज्य द्वारा किए गए प्रयासों को अनुपूरित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग असम सहित पूरे देश में निम्नलिखित कार्यक्रम लागू कर रहा है:

1. राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य देशी बोवाइन नस्लों का विकास और संरक्षण, बोवाइन आबादी का आनुवंशिक उन्नयन और दूध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है, जिससे किसानों को दूध उत्पादन से अधिक लाभ मिल सके। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के परिणामस्वरूप देशी नस्लों के गोपशुओं गायों और भैंसों सहित अधिक दूध देने वाले बोवाइनों की आबादी में वृद्धि हो रही है। राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के अंतर्गत असम में **17.64** लाख पशुओं की कवर करते हुए **23.09** लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए है जिससे 14.84 लाख डेयरी किसान लाभान्वित हुए है।

2. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (**NLM**) का उद्देश्य रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि करना और इस प्रकार अम्ब्रेला योजना विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मांस, बकरी के दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन में वृद्धि करना है। इस योजना में निम्नलिखित तीन उप-मिशन हैं: (**i**) पशुधन और पोल्ट्री की नस्ल विकास संबंधी उप-मिशन; **(ii)** चारा और पशु आहार विकास संबंधी उप-मिशन और (**iii**) नवाचार और विस्तार संबंधी उप-मिशन।

भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत पशुधन बीमा लागू कर रहा है ताकि किसानों और पशुपालकों को पशुओं की मृत्यु से होने वाले किसी भी संभावित नुकसान से सुरक्षा प्रदान की जा सके। किसानों द्वारा प्रीमियम भुगतान में दी जाने वाली राशि को जाति और निवास स्थान के आधार पर **20-50%** से घटाकर **15%** कर दिया गया है। शेष **85%** राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा

साझा की जाएगी, हिमालयी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए यह अनुपात **60:40** और हिमालयी एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए **90:10** है। पशुधन बीमा के कार्यान्वयन के पिछले चार वर्षों (**2021-22** से **2024-25)** और चालू वित्तीय वर्ष (**2025-26)** के दौरान, भारत सरकार ने असम सहित **68.64** लाख पशुओं को कवर करने के लिए **158.79** करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

3. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (**AHIDF**) का उद्देश्य निम्नलिखित सुविधाओं की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहित करना है: (**i)** दुग्ध प्रसंस्करण एवं उत्पाद विविधीकरण अवसंरचना, **(ii)** मांस प्रसंस्करण एवं उत्पाद विविधीकरण अवसंरचना, **(iii)** पशु चारा संयंत्र, **(iv)** नस्ल सुधार तकनीक एवं नस्ल वृद्धि फार्म, **(v)** पशु चिकित्सा टीका एवं औषधि उत्पादन सुविधाएं, **(vi)** पशु अपशिष्ट से संपत्ति प्रबंधन (कृषि अपशिष्ट प्रबंधन)। एएचआईडीएफ की सफलता को देखते हुए, पूर्ववर्ती डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना विकास निधि को दिनांक **01.02.2024** को **AHIDF** में समाहित कर दिया गया है। अब निधि का कुल आकार **29110** करोड़ रुपये है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं: (**i) 8** वर्षों तक तय **3%** की ब्याज सब्सिडी, जिसमें ऋण पर कोई सीमा नहीं है; **(ii)** ऋण देने वाली संस्थाओं (सभी अनुसूचित बैंक/ **NCDC**/ **NDDB**/ नाबार्ड/ **SIDBI**) से **90%** तक ऋण और (**iii) MSME** और डेयरी सहकारी समितियों के लिए क्रेडिट सुविधा के **25%** तक क्रेडिट गारंटी निधि (**750** करोड़ रुपये)। अब तक असम में **285.86** करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाली **13** परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है।

4. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (**NPDD**) को निम्नलिखित **2** घटकों के साथ कार्यान्वित किया जाता है:

(i) NPDD का घटक ''क'' राज्य सहकारी डेयरी संघों/ जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों/ स्वयं सहायता समूहों (**SHG**)/ दुग्ध उत्पादक कंपनियों/ किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्तापूर्ण दुग्ध परीक्षण उपकरण और प्राथमिक शीतलन सुविधाओं के लिए अवसंरचना के निर्माण/सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है।

NPDD योजना के तहत असम में **6** परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है, जिनकी कुल परियोजना लागत **11932.16** लाख रुपये है, जिसमें केंद्र का हिस्सा **9820.87** लाख रुपये है। इसमें से दिनांक **19.03.2026** तक **2689.78** लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस योजना का लाभ राज्य के सभी डेयरी किसानों को मिल रहा है।

(ii) NPDD योजना का घटक ''ख'' "सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी" का उद्देश्य किसानों की संगठित बाजार तक पहुंच बढ़ाकर, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को उन्नत करके और उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता बढ़ाकर दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री बढ़ाना है।

5. डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों के सहायता (**SDCFPO**): प्रतिकूल बाजार स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न संकट से उबरने के लिए सुलभ कार्यशील पूंजीगत ऋण के संबंध में ब्याज सब्सिडी (नियमित **2%** और शीघ्र भुगतान पर अतिरिक्त **2%)** प्रदान करके राज्य डेयरी सहकारी संघों की सहायता करना।

6. किसान क्रेडिट कार्ड (**KCC**) पशुपालन और डेयरी किसानों को कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान करता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की "संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (**MISS**)" के तहत **KCC** कार्डों के माध्यम से पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन कार्यकलापों के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी पर बैंकों को **1.5%** की ब्याज सब्सिडी और किसानों को **3%** का शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन दिया जाता है, जो **2** लाख रुपये तक हो सकता है। इससे डेयरी किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले चारे, पशु चिकित्सा देखभाल और उन्नत प्रजनन तकनीकों में निवेश करने में मदद मिलती है। दिनांक **31.03.2025** तक, असम में पशुपालन के लिए **13,448 KCC** खाते चालू थे, जिन पर **193.24** करोड़ रुपये की बकाया राशि थी।

7. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (**LHDCP**) पशु रोगों के लिए निवारक टीकाकरण, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए कार्यान्वित किया जाता है। इसके अलावा, इस योजना के अंतर्गत पशु औषधि नामक एक नया घटक जोड़ा गया है, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (**PM-KSK**) और सहकारी समितियों के माध्यम से देश भर में सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इससे सस्ती और उच्च

गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं के लिए एक अनुकूल वातावरण बनेगा। अब तक, असम में एफएमडी के लिए **2.66** करोड़ टीकाकरण किए गए हैं, जिससे **23.96** लाख डेयरी किसानों को लाभ हुआ है और ब्रुसेलोसिस के लिए **3.48** लाख टीकाकरण किए गए हैं, जिससे **2.39** लाख डेयरी किसानों को लाभ हुआ है।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्यपालन विभाग द्वारा राज्य में मत्स्य पालन और जलीय कृषि के सतत विकास के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं, जिनमें (**i)** मत्स्यपालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (**FIDF**), **(ii)** प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (**PMMSY**) और (**iii)** प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धि सह योजना (**PM-MKSSY**) शामिल हैं, साथ ही मछुआरों और मछली पालकों की आय में वृद्धि भी शामिल है।

भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष (वर्ष **2020-21** से वर्ष **2025-26)** के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (**PMMSY**) के तहत कुल **543.22** करोड़ रुपये की लागत से मत्स्यपालन और जलीय कृषि विकास प्रस्तावों को अनुमोदन दिया है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा **299.88** करोड़ रुपये है।

इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ समुद्री और अंतर्देशीय मछुआरों और उनसे जुड़े मछली श्रमिकों को समूह दुर्घटना बीमा योजना (**GAIS**) के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस योजना में सामान्य राज्यों के लिए पूर्ण बीमा प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य द्वारा **60:40** के अनुपात में साझा की जाती है। हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए **90:10** के अनुपात में और संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, संपूर्ण प्रीमियम राशि केंद्र द्वारा भुगतान की जाती है। **PMMSY** के अंतर्गत प्रदान की गई बीमा कवरेज में शामिल हैं: (**i)** मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए **5,00,000** रुपये, **(ii)** स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए **2,50,000** रुपये और (**iii)** दुर्घटना की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के रूप में **25,000** रुपये। **PMMSY** के कार्यान्वयन के पिछले चार वर्षों (**2021-22** से **2024-25)** और वर्तमान वित्तीय वर्ष (**2025-26)** के दौरान, केंद्र सरकार ने असम सहित **167.33** लाख मछुआरों के बीमा कवरेज के लिए **149.07** करोड़ रुपये की राशि जारी की है, जिसमें प्रति वर्ष औसतन **33.46** लाख मछुआरे शामिल हैं।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (**NSO**), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (**MOSPI**) द्वारा **77**वें चरण (जनवरी **2019**-दिसंबर **2019)** में जुलाई **2018**-जून **2019** के कृषि वर्ष के संदर्भ में किए गए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि परिवारों के स्थिति आकलन सर्वेक्षण (**SAS**) के अनुसार, असम में प्रति कृषक परिवार की औसत मासिक आय **10,675** रुपये है। इस आय में मजदूरी से प्राप्त आय, भूमि पट्टे पर देने से प्राप्त आय, फसल उत्पादन से प्राप्त शुद्ध आय, पशुपालन से प्राप्त शुद्ध आय और गैर-कृषि व्यवसाय से प्राप्त शुद्ध आय शामिल है।
